न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारीः— श्री बीरबल सिंह शेखावत आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः— 44/2017

विनोद कुमार सुलानिया पुत्र स्व. श्री लादूराम सुलानियां, जाति बैरवा, निवासी दयादेवी गार्ड, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

—अपीलाण्ट (अप्रार्थीया दयादेवी (मृतका) का वारिस प्रार्थी संख्या 1)

—:बनामः—

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेण्ट (प्रार्थी)

2. रामअवतार पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
3. ओमप्रकाश पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
4. त्रिलोकचन्द पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
   समस्त जाति बैरवा निवासी दया देवी गार्डन झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान।

——तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स
(अप्रार्थीया दयादेवी (मृतका) के वारिसान् अप्रार्थी संख्या 2 ता 4)

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 30.05.2017 बअदालत अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 बउनवानी तहसीलदार, चाकसू बनाम मु0 दयादेवी में पारित किया गया। जिसके तहत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) अलाटमेण्ट रूल्स, 1970 निरस्त किया गया।

उपस्थितः—
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4
श्री जी0एल0 मीणा राजकीय अभिभाषक।

2. अपील संख्याः— 25/2016

1. लादी देवी बैवा नारायण
2. गोपाल पुत्र कल्याण
3. मनफूली बैवा जगदीश
4. रामनारायण पुत्र श्रीनारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कोथून, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

—अपीलाण्ट्स (प्रार्थीगण)

—:बनामः—

5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
6. विनोद कुमार पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
7. रामअवतार पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
8. ओमप्रकाश पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
9. त्रिलोकचन्द पुत्र दयादेवी पत्नि लादूराम
   समस्त जाति बैरवा निवासी दया देवी गार्डन झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेण्ट्स (अप्रार्थीगण)

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 31.05.2016 बअदालत अतिरिक्त कलक्टर (चतर्थ), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बनाम सरकार वगैरह में पारित किया गया। जिसके तहत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) अलाटमेण्ट रूल्स, 1970 खारिज किया गया।

उपस्थितः–
श्री सुबोध जैन अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अभिभाषकगण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 5
श्री जी0एल0 मीणा राजकीय अभिभाषक।

–ःनिर्णयः– **दिनांक** 09.12.2019

अपील संख्या 25/2016 बउनवानी लादी देवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31–05–2016 के विरूद्ध तथा अपील संख्या 44/2017 बउनवानी विनोदकमार बनाम सरकार वगैरह अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 बउनवानी तहसीलदार चाकसू बनाम मु0 दयादेवी में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत प्रस्तुत की गई है।

उक्त वर्णित दोनों अपीलों में दयादेवी पत्नि लादूराम के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06–3–19690 के सन्दर्भ मुख्य विवाद निहित है तथा दोनों ही अपीलो में आवंटन आदेश एंव आवंटित भूमि समान है, इसलिये दोनों अपीलो को कनेक्ट करके एक ही निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

अपील संख्या 44/2017 के संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 (प्रार्थी) तहसीलदार, चाकसू ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान (भू–आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर की सीमा में आराजी साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा स्थित है जो तहसीलदार चाकसू द्वारा ग्राम पंचायत कोथून में आयोजित अलाटमेण्ट मीटिंग में दिनांक 06–3–1969 को अप्रार्थीया दयादेवी पत्नि लादूराम के पक्ष में आवंटित की गई थी। ग्राम कोथून के साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा पर संवत् 2028 श्रीनारायण, गोपाल पिता कल्याण जाति मीना निवासी कोथून का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी के निरीक्षण से प्रमाणित होता है। मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का कोथून से ली गई। वर्तमान में आवटित भूमि पर गोपाल पुत्र कल्याण मीना तथा श्रीनारायण की मृत्यु होने पर उसके वारिसान का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीया को ग्राम कोथून में आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2535 रकबा 2.53 हैक्टेयर किस्म बारानी–तृतीय पर अप्रार्थीया का आवंटन क पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। अप्रार्थीया को ग्राम कोथून में भूमि का आवंटन होने के पश्चात कभी भी ग्राम कोथून में निवास नहीं किया है। अप्रार्थीया की मृत्यु भी लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है, इत्यादि तथ्यो के आधार पर उक्त आवंटन को खारिज कर भूमि को पुनः सिवायचक करने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 बउनवानी तहसीलदार चाकसू बनाम मु0 दयादेवी दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामिल अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 (अप्रार्थीगण) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर इस आशय का कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो उत्तरदाता को बिना सूचना व नोटिस दिये, मिलीभगत से तैयार करवा कर मंगवाई गई है, जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है। आवंटित भूमि पर आवंटी ने ता–जिन्दगी काश्त की थी तथा उसके फौत होने के बाद भूमि पर उसके वारिसो का कब्जा चला आ रहा है। आवंटन शर्तो की पालना की गई है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उक्त आवंटन को पूर्व में श्रीनारायण, गोपाल पुत्रान् श्री कल्याण ने चुनौती दी थी, जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार था, उसमें ऐसा कोई आक्षेप प्रार्थी ने नहीं लगाया था। श्रीनारायण व गोपाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

की चुनौती न्यायालय कलेक्टर, जयपुर, अतिरिक्त कलेक्टर एंव अपील अधिकारी जयपुर द्वारा खारिज की जा चुकी है। आवंटन के समय आवंटित भूमि आवंटन योग्य थी तथा आवंटन किये जाने के उपरान्त नियमानुसार गैर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है इसलिये प्रार्थी की आपत्तियॉ गलत है तथा आवंटन बहाल रखने योग्य है। आवंटन लम्बे समय उपरान्त कानूनन निरस्तनीय नहीं है। प्रार्थना पत्र राजनैतिक दवाब के कारण प्रशासन द्वारा दुर्भावनावश पेश किया गया तथा कानूनन चलने योग्य नहीं है, इत्यादि तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा गया।

अपील संख्या 25/2016 के संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स (प्रार्थीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट्स (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) अलॉटमेण्ट रूल्स, 1970 के तहत पेश कर इस आशय का कथन किया कि राजस्व ग्राम कोथून तहसील चाकसू जिला जयपुर की सीमा में साबिक खसरा नम्बर 855 के मिन रकबा 10 बीघा स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुजुर्गान बजमाने जागीरदार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहें है। वर्तमान में प्रार्थीगण का बतदस्तुर कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की माता दयादेवी का पति लादूराम सुलानिया राजनीति में काफी प्रभावी व्यक्ति है जो एकबार विधानसभा सदस्य भी रह चुका है। राज्य सरकार के कर्मचारियो को अपने पक्ष में करके पत्नि दयादेवी के नाम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि 10 बीघा का आवंटन अन्य दीगर भूमि के आवंटन के साथ–साथ आवंटन सलाहकार समिति से सारी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दिनांक 06–3–1969 को करवा लिया और खसरा नम्बर 855 का टुकड़ा करके खसरा नम्बर 855/883 रकबा 10 बीघा कायम करवा कर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। जबकि आवंटन के दिन से या आवंटन के पहले व आज तक दयादेवी का कब्जा नहीं रहा और न है। दयादेवी ग्राम कोथून की निवासी नहीं है। दयादेवी के पति ने तहसील चाकसू फागी विधानसभा क्षैत्र में आने के कारण नाजायज तौर पर आवंटन करा लिया। खसरा नम्बर 855/883 कायम नम्बर के बाद वर्तमान भू–प्रबन्ध कार्यवाही के बाद खसरा नम्बर 2535 रकबा 2.53 हैक्टेयर कायम करके दयादेवी पत्नि लादूराम बैरवा साकिन देह गैर खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड है जबकि वर्तमान जमाबन्दी जो दिनांक 05–1–2013 को जारी की गई है, उसमें भी पटवार हल्का की रिपोर्ट से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है, आवंटी का कब्जा नहीं है। दयादेवी का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 उसके वारिसान है। आवंटन की तारीख से दिनांक 05–1–2013 तक राजस्व रिकार्ड में दयादेवी को गैर खातेदार ही दर्शाया है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दयादेवी का नहीं रहा बल्कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुजुर्गान का रहा है जो राजस्व रिकार्ड में कब्जे की रिपोर्ट में अंकित है। अब दयादेवी के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान पुत्रगण राज्य सरकार की नीति अनुरूप लगाये जा रहें प्रशासन शहरो के संग अभियान में दयादेवी के स्थान पर अपने नाम कराने का भरसक प्रयास कर रहें है। इसी कारण प्रार्थीगण आवंटन आदेश दिनांक 06–3–1969 से प्रभावित व दुखी है। उक्त आवंटन खिलाफ कानून व दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत है। कानूनन महिला बोनाफाईड कृषक की श्रेणी में नहीं आती है और ना ही मानी जा सकती है। आवंटी का वास्तव में कब्जा होता तो खातेदारी दर्ज हो गई होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी का कब्जा न होकर प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के बुजुर्गान के विरूद्ध आज तक वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं हुई और ना ही बेदखल किया गया। उक्त आवंटन कत्तई इलिगल एण्ड अंगेस्ट प्रिसिपल ऑफ इक्विटी एण्ड जस्टिस होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, इत्यादि तथ्यो के आधार उक्त आवंटन निरस्त किये जाने और प्रार्थीगण को आवंटन/नियमन किये जाने के निर्देश जारी करने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बाद तामिल अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की ओर से जवाब पेश कर इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में तथ्य छुपाते है। प्रार्थना पत्र नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से पेश नहीं किया। प्रार्थी रामनारायण पुत्र श्रीनारायण पौत्र कल्याण ने झूँठा शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण व उसके पूर्वजो का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना अस्वीकार है। इस संबंध में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 20–8–1970 तथा 31–10–1977 की प्रतिलिपियां पेश की गई। मदवार जवाब में कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–8–1970 तथा 31–10–1977 के द्वारा उक्त आवंटन को विधिवत् व नियमानुसार घोषित किया जा चुका है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 15–12–1990 से भी उक्त आवंटन विधिसम्मत होना संपुष्ट हो गया, इसलिये प्रार्थीगण उक्त आवंटन को पुनः विधि विरूद्ध कहने के हकदार नहीं है। प्रार्थी संख्या 2 ने अपने बड़े भाई के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) एंव अपील अर्न्तगत धारा 75 व 76 एल.आर.एक्ट में दर्ज अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष इस प्रार्थना पत्र के तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें न्यायालय ने अस्वीकार कर निर्णय दिनांक 20–8–1970 व 31–10–1977 को अपील व प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी संख्या 2 व 4 के पति तथा प्रार्थी संख्या 3 के पिता का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है तथा इनकी अपील भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, प्रथम जयपुर द्वारा दिनांक 15–12–1990 को खारिज कर दी गई। जिसको प्रार्थी संख्या 2 ने तथा अन्य प्रार्थीगण ने आज तक चैलेन्ज नहीं किया है। उक्त निर्णय अन्तिम होकर पिसिडेन्ट के रूप में लागु है। प्रार्थीगण उक्त निर्णयो से पाबन्द है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पुनः निर्णय हेतु नहीं उठाये जा सकते। न्यायालय पर पूर्व अपील का निर्णय बाईन्डिंग है। आवंटन के पश्चात प्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी संख्या 1 व 3 पति व पिता ने तथा प्रार्थी संख्या 4 के पति ने दिनांक 26–8–1969 से 15–12–1990 तक उक्त आवंटन को बार–बार भिन्न–भिन्न न्यायालयो में चैलेन्ज किया और प्रकरण विचाराधीन रहने के कारण खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार नहीं हुआ है, इसमें आवंटी या मिन अप्रार्थीगण का दोष नहीं है। प्रार्थीगण का कब्जा किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माना गया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात पुनः प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। विशेष कथन में उक्त तथ्यो की पुनरावृति करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा गया।

इसी प्रकार बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 बउनवानी तहसीलदार चाकसू बनाम मु0 दयादेवी वगैरह में निर्णय दिनांक 30–5–2017 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किया जाना मानकर आवंटन आदेश दिनांक 06–3–1969 निरस्त किया गया।

बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह में निर्णय दिनांक 31–5–2016 पारित कर प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना तथा इसी भूमि का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–10–1977 को खारिज करना एंव उक्त आवंटन आदेश दिनांक 03–6–1969 को बहाल रखना एंव उक्त आदेश की अपील भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 15–12–1990 को खारिज करना एंव आदेश दिनांक 31–10–1977 बहाल रखना मानते हुए उक्त निर्णय सभी पर बाध्यकारी होने के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को सारहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–5–2017 एंव 31–5–2016 के विरूद्ध हस्तगत अपीले पेश की गई जो अपील संख्या 44/2017 बउनवानी विनोद कुमार बनाम सरकार वगैरह तथा अपील संख्या 25/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह दर्ज रजिस्टर की गई। उक्त वर्णित दोनों ही अपीलो में रेस्पोडेण्ट्स की तलबी जारी की गई तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियॉ तलब की गई। उक्त दोनो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

ही अपीलों में रेस्पोडेण्ट्स उपस्थित होने एंव अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियॉ प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान् की इकजाई बहस सुनी गई।

अभिभाषक विनोद कुमार वगैरह द्वारा दलील दी गई कि आवंटन नियमानुसार किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20–8–1970 तथा 31–10–1977 द्वारा आवंटन को विधिवत् व नियमानुसार होना घोषित किया जा चुका है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 15–12–1990 से भी आवंटन आदेश विधिसवम्मत होने की पुष्टि की गई है, इसलिये अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह उक्त आवंटन को पुनः विधि विरूद्ध कहने के हकदार नहीं है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर प्रथम के निर्णय को अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह ने आज तक चुनौती नहीं दी है इसलिये उक्त निर्णय अन्तिम होकर प्रिसिडेन्ट के रूप में लागु है। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय में विवादित भूमि पर श्री नारायण व गोपाल वगैरह का कब्जा साबित नहीं माना। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी श्रीनारायण व गोपाल वगैरह का कब्जा अस्वीकार कर अपील खारिज की जा चुकी है। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर प्रथम का निर्णय दिनांक 15–12–1990 द्वारा श्रीनारायण व गोपाल की अपील को खारिज कर दी गई जो कहीं चैलेन्ज नहीं हुआ है और यह अन्तिम होकर बाईन्डिंग हो चुका है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2001 पेज 125, आर.आर.डी. 1980 पेज 161, आर.आर.डी. 1986 पेज 595, आर.आर.डी. 1987 पेज 54, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1273 से 1299, आर.आर.डी. 1992 पेज 266, आर.आर.डी. 2002 पेज 501, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 453, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 220 पेश कर अपीलाण्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक लादीदेवी वगैरह द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नाधीन हर दोनों आदेश कत्तई खिलाफ कानून व रूयेदाद मिशल है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटी व उसके वारिसान अपीलाण्ट विनोदकुमार वगैरह का कभी भी कब्जा नहीं रहा अपितु रिपोर्ट पटवार हल्का व अन्य दस्तावेजो से वादग्रस्त आराजी पर लादीदेवी वगैरह के बुजुर्गगान का कब्जा साबित है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की और ना ही आपत्ति मांगी गई। आवंटी दयादेवी ग्राम कोथून में नहीं रहती अपितु जयपुर में रहती है। महिला कानूनन बोनाफाईड कृषक की श्रेणी में नहीं आती है और न ही मानी जा सकती है। आवंटन दिनांक 06–3–1969 से आज तक आवंटित भूमि आवंटी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अगर आवंटी का वास्तव में कब्जा होता तो आवंटी की खातेदारी दर्ज हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिससे भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा न होकर अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह का ही कब्जा है। अपीलाण्ट्स व इनके बुजुर्गान के विरूद्ध आज तक कोई बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई और ना ही कभी बेदखल किया गया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स लादीदेव व इनके बुजर्गान जागीर के जमाने से व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहें है। प्राकृतिक सिद्धान्तो के अनुसार शिकायती प्रार्थना पत्र में किसी भी आदेश/अधिकारी के विरूद्ध अगर नये तथ्य उजागर हो जाते है तो दुबारा प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। पूर्व निर्णय मेरिट्स पर तय नहीं हुए है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष दिनांक 20–8–1970 को सामूहिक रूप से 13 व्यक्तियो द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 06–3–1969 के विरूद्ध अपील पेश कर आवंटन को चुनौती दी गई थी, जिसको ए.डी.एम. साहब ने मियाद बाहर मानकर मेरिट्स पर गये बगैर ही खारिज की थी। इसके बाद प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14 (4) को यह कहकर खारिज कर दिया कि पूर्व में अपीले दिनांक 20–8–1970 को खारिज की जा चुकी है। इसके बाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 29–2–1981 द्वारा इस आधार पर खारिज की गई कि आवंटन रूल्स 14 (4) का आवेदन खारिज हो गया, उसके बाद शिकायतकर्ता को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद रेवेन्यु बोर्ड में दायर सैकिण्ड अपील के निर्णय दिनांक 28–6–1986 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत शिकायतकर्ता की प्रथम अपील को मेन्टीनेबल मानकर मेरिट्स पर निर्णय करने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिया गया। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने पुनः बेजा आदेश दिनांक 15–12–1990 पारित कर मेरिट्स पर निर्णय करे बगैर शिकायतकर्ताओ की अपील चलने योग्य न मानते हुए पुनः खारिज कर दी। इस प्रकार कहीं पर भी मेरिट्स पर निर्णय नहीं हुआ। आवंटन की वैधता की जॉच किसी भी प्रकार से नहीं हुई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) पूर्णरूपेण काबिल पेशरफ्त था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो पर कोई गौर किये बिना ही प्रश्नाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो गैरकानूनी एंव विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है, इत्यादि तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन निर्णय का अपास्त किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06–3–1969 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया तथा विकल्प में विवादित आराजी अपीलाण्ट्स को नियमन करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा दलील दी गई कि खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से पूर्व विवादित आराजी का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आवंटन से पूर्व यदि मौके की रिपोर्ट ली जाती तो गलत आवंटन नहीं हो पाता। आवंटित भूमि पर संवत् 2028 से श्रीनारायण, गोपाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी कोथून का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है। पटवारी हल्का ने भी वर्तमान मौका रिपोर्ट में गोपाल पुत्र कल्याण मीणा तथा श्रीनारायण की मृत्यु होने पर उसके वारिसान का कब्जा काश्त होना पाया है। आवंटित आराजी साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2535 रकबा 2.53 हैक्टेयर किस्म बारानी पर आवंटी का आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। आवंटन की शर्तो की पालना में काश्त नहीं की गई। पूर्व में जो निर्णय दिनांक 28–8–1970 पारित किया गया है वह मियाद के बिन्दु पर निर्णित किया गया है। निर्णय दिनांक 31–10–1977 एंव निर्णय दिनांक 15–12–1990 में आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के बिन्दु को निर्णित किया गया है। आवंटी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन होने के पश्चात आवंटी ने कभी भी ग्राम कोथून में निवास नहीं किया है और आवंटी की लगभग 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, प्रलेखीय साक्ष्यो को कन्सीडर करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एंव कानूनी त्रुटि नहीं है।

मैनें उभय पक्षकारान् की बहस पर चिन्तन, मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयो व इस न्यायालय की पत्रावलियो व आलौच्य निर्णय–आदेशों का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार राजस्व ग्राम कोथून के खसरा नम्बर 855 के रकबा 248 बीघा 19 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि दयादेवी पत्नि लादूराम के पक्ष में दिनांक 06–3–1969 को आवंटन करना जाहिर है। आवंटी के वारिसान के विद्धान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह जाहिर होता है कि आवंटन दिनांक 06–3–1969 को अपील द्वारा एंव प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) द्वारा निरस्त कराने का प्रयास किया गया है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण उपलबध नहीं है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई हो और आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन को चुनौती दी गई हो। विवादित आवंटन के विरूद्ध तत्समय अपील पेश की गई थी जो मियाद के बिन्दु पर निर्णित क गई है। श्रीनारायण व गोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के जरिये आवंटन को चुनौती दी गई, जिसे अतिरिक्त कलेक्टर, जयपुर की आज्ञा दिनांक 31–10–1977 द्वारा अस्वीकार कर निर्णित किया गया है और आवंटन को बहाल रखा गया है परन्तु इसमें आवंटी द्वारा आवंवटन की शर्तो की पालना की गई है अथवा नहीं की गई है, इस बिन्दु को निर्णित नहीं किया गया है क्योंकि आवंटन दिनांक 06–3–1969 की वैधता को चुनौती दी गई थी। बल्कि आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा काश्त नहीं किये जाने के कारण आवंटन शर्तो का उललंघन किये जाने के बिन्दु को चुनौती नहीं दी गई। निर्णय दिनांक 31–10–1977 की अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 15–12–1990 में भी आवंटन की शर्तो के उल्लंघन के बिन्दु को निर्णित नहीं किया गया है। श्रीनारायण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वारिसान व गोपाल के प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) को प्रकरण संख्या 4/2016 उनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह तारीख फैसल 31–5–2016 द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने प्रार्थना पत्र 14 (4) को निरस्त किया है परन्तु यह निर्णय भी पूर्व में किये गये निर्णयो के कारण प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है। गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया और ना ही आवंटन की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अभिमत दिया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से पूर्व विवादित आराजी का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आवंटन से पूर्व यदि मौके की रिपोर्ट ली जाती तो गलत आवंटन नहीं हो पाता। आवंटित भूमि पर संवत् 2028 से श्रीनारायण, गोपाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी कोथून का कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी से प्रमाणित है। पटवारी हल्का ने भी वर्तमान मौका रिपोर्ट में गोपाल पुत्र कल्याण मीणा तथा श्रीनारायण की मृत्यु होने पर उसके वारिसान का कब्जा काश्त होना पाया है। आवंटित आराजी साबिक खसरा नम्बर 855 रकबा 10 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 2535 रकबा 2.53 हैक्टेयर किस्म बारानी पर आवंटी का आवंटन के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। आवंटन की शर्तो की पालना में काश्त नहीं की गई। पूर्व में जो निर्णय दिनांक 28–8–1970 पारित किया गया है वह मियाद के बिन्दु पर निर्णित किया गया है। निर्णय दिनांक 31–10–1977 एंव निर्णय दिनांक 15–12–1990 में आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के बिन्दु को निर्णित किया गया है। आवंटी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन होने के पश्चात आवंटी ने कभी भी ग्राम कोथून में निवास नहीं किया है और आवंटी की लगभग 4 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। मेरी विनम्र राय में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, प्रलेखीय साक्ष्यो को कन्सीडर करते हुए आलौच्य निर्णय पारित कर आवंटन दिनांक 06–3–1969 को निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एंव कानूनी त्रुटि नहीं है।

जहॉ तक प्रश्न अभिभाषक अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह ने अपनी बहस में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही विवादित आवंटित भूमि पर नारायण, गोपाल पिसरान् कल्याण का कब्जा काश्त होने तथा आवंटी दयादेवी का कभी भी कब्जा नहीं होने का कथन किया है और खसरा परिवर्तनशील में अपीलाण्ट्स के पिता का नाम दर्ज होने एंव संवत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी में भी कब्जा अपीलाण्ट्स का होने का नोट अंकित होने का कथन किया है और इस आधार पर विवादित आवंटित भूमि अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह को नियमन करने का निवेदन दौराने बहस किया गया। मेरी विनम्र राय में नियमन का बिन्दु इस न्यायालय द्वारा निस्तारण किये जाने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट्स लादीदेवी वगैरह नियमन के सन्दर्भ में सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष कानूनी चाराजोई करने के लिए स्वतन्त्र है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट्स की अपील संख्या 25/2016 बउनवानी लादीदेवी वगैरह बनाम सरकार वगैरह सारहीन, अर्थहीन, बलहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 44/2017 बउनवानी विनोद कुमार बनाम सरकार वगैरह अस्वीकार कर खारिज की जाती है एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2017 को बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय की प्रतियॉ प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां नियमानुसार लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(बीरबल सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
जयपुर।